न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्

प्रथम अपील संख्या 46 / 2023

श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा, निवासी वार्ड नं0 15, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, ि
पिन कोड 333501

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधि के तहत दिनांक 24.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर दिनांक 24.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 20 दिनांक 24.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री मु निवासी वार्ड नं0 15, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ न्याय / सू0अ0 / 23 / 33 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा तहसीलदार, खेतडी को नियमानुसार प्र उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री मु निवासी वार्ड नं0 15, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनक 23.01.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 23 / 33 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा तहसीलदार, खेतडी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार कि[illegible] तहसीलदार, खेतडी को आदेश प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना 7 दिवस [illegible] उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इस[illegible]तीय अपील माननीय राज्य सूचना के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2023 को खुले [illegible]यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस

जिला कलक्

जिला कलक्टर